संख्या-1/2026/391/26-2-2026/2020781

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वर लू,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 12 मार्च, 2026

विषयः- वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत आवेदन-पत्र, स्वीकृति एवं वितरण इण्टरनेट आधारित प्रणाली द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश में आंशिक संशोधन किये जाने विषयक।

महोदय,

भारत सरकार के पत्रांक-16013/4/2020-RO-Lko/5416, दिनांक 31.10.2025 व जनशक्ति नियोजन प्रभाग (नियोजन विभाग), उ0प्र0 शासन के पत्रांक-392/392/27/7-363/107944/ ज0नि0प्र0/2024, दिनांक 24.11.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार न किये जाने हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है।

2- इस संबंध में अवगत कराना है कि वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत आवेदन पत्र, स्वीकृति एवं वितरण, इण्टरनेट आधारित प्रणाली द्वारा किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-3/2016/579/26-2-2016-100(02)/2007 दिनांक 29 फरवरी, 2016 निर्गत किया गया है। उक्त शासनादेश का संशोधन शासनादेश संख्या-09/2018/794/26-2-2018-100(02)/2007, दिनांक 16 मई, 2018 द्वारा वृद्धावस्था पेंशन हेतु आवेदक की आयु की गणना हेतु परिवार /कुटुम्ब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति अथवा शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का अंकन होगा, के अतिरिक्त आधार कार्ड में अंकित जन्म तिथि को भी मान्य किया गया। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0आई0डी0ए0आई0), क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार लखनऊ के पत्रांक-1630/4/2020-RO-Lko/5416, दिनांक 31.10.2025 द्वारा आधार कार्ड को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में मान्य नहीं किया गया है। भारत सरकार के उक्त दिशा-निर्देश के क्रम में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना के आवेदन के लिए आवेदक की आयु की गणना हेतु आधार कार्ड में अंकित जन्म तिथि को आयु के प्रमाण के रूप में मान्यता नहीं दिये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त के दृष्टिगत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-09/2018/794/26-2-2018-100(02)/2007 दिनांक 16 मई, 2018 में अंकित सूची के कॉलम-2 (शासनादेश दिनांक 29.02.2016 के पैरा 4(1)iv में संशोधन विषयक) में अंकित शब्द "के अतिरिक्त आधार कार्ड में अंकित जन्म तिथि भी आयु के प्रमाण-पत्र के रूप में मान्य होगी।", को विलोपित किये जाने हेतु आंशिक संशोधन का प्रस्ताव निम्नवत है:-

वर्तमान व्यवस्था	संशोधन (वृद्धावस्था पेंशन हेतु)
4(1) iv आवेदक द्वारा आवेदन के समय निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप के सभी कालमों को भरना अनिवार्य होगा एवं आवेदन पत्र के साथ वृद्धावस्था पेंशन हेतु आवेदन के लिए आवेदक की आयु का प्रमाण-पत्र, (परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति) अथवा शैक्षिक अर्हता से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र जिसमें जन्मतिथि का अंकन होगा, के **अतिरिक्त आधार कार्ड में अंकित जन्मतिथि भी आयु के प्रमाण पत्र के रूप में मान्य होगी।** आय प्रमाण-पत्र (यदि लाभार्थी बी०पी०एल० सूची में है, तो सम्बन्धित सूची की छायाप्रति अथवा शासनादेश संख्या-22/2015/2123/26-2-2015, दिनांक 14 सितम्बर, 2015 की व्यवस्थानुसार वार्षिक आय शहरी क्षेत्रों के लिए रू0 56,460/- तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रू0 46,080/- की सीमा तक सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण पत्र) के संबंध में पूर्व में वर्णित शासनादेश की शर्तें यथावत लागू होंगी।	4(1) iv आवेदक द्वारा आवेदन के समय निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप के सभी कालमों को भरना अनिवार्य होगा एवं आवेदन पत्र के साथ वृद्धावस्था पेंशन हेतु आवेदन के लिए आवेदक की आयु का प्रमाण-पत्र, (परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति) अथवा शैक्षिक अर्हता से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र जिसमें जन्मतिथि का अंकन होगा। आय प्रमाण-पत्र (यदि लाभार्थी बी०पी०एल० सूची में है, तो सम्बन्धित सूची की छायाप्रति अथवा शासनादेश संख्या-22/2015/2123/26-2-2015, दिनांक 14 सितम्बर, 2015 की व्यवस्थानुसार वार्षिक आय शहरी क्षेत्रों के लिए रू0 56,460/- तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रू0 46,080/- की सीमा तक सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण पत्र) के संबंध में पूर्व में वर्णित शासनादेश की शर्तें यथावत लागू होंगी।

उक्तानुसार शासनादेश संख्या-09/2018/794/26-2-2018-100(02)/2007, दिनांक 16 मई, 2018 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

एल0 वेंकटेश्वर लू
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पृ0संख्या- 391(1) /26-2-2026 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलीय उप निदेशक/जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।
4. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, उ0प्र0, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

नीता चौधरी
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।